2:— संविदा पर तैनाती हेतु चयन के उपरान्त तैनाती आदेश निर्गत होने या पूर्व चयनित कार्मिक को निर्धारित प्रारूप (संलग्न–01) पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा ।

3:— संविदा में तैनात कनिष्ट अभियन्ता (सिविल) के व्दारा निर्धारित /प्रचलित कर्तव्यों का निर्वहन किया जायेगा तथा नियत समयावधि के लिए इनका कोई मुख्यालय निर्धारित नही किया जायेगा बरन कार्यभार एवं कार्य की आवश्यकतानुसार इनकी तैनाती प्रखण्ड तथा किसी भी कार्य पर की जायेगी और आवश्यकता न रहने पर तत्काल दूसरे प्रखण्ड प्रखण्ड अथवा कार्य पर तैनात किया जा सकेगा।

4:— संविदा के आधार पर तैनात कनिष्ट अभियन्ता को प्रतिमाह रू0 10,000.00 (दस हजार मात्र) नियत मानदेय प्रदान किया जायेगा ।

5:— संविदा पर तैनात कार्मिकों को उपरौक्तानुसार निर्धारित एवं एक मुश्त मानदेय के अतिरिक्त नियमित कार्मिक की भान्ति अनुबन्ध मे यथा इंगित सामान्य यात्रा भत्ता (स्थानान्तरण यात्रा भत्ता को छोडकर) एवं अन्य सुविधाये अनुमन्य होगी ।

6:— संविदा पर तैनाती हेतु चयन के उपरान्त अभ्यर्थी को योगदान करने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रो के सत्यापन किया जायेगा ।

7:— उक्त रिक्तियो की संख्या घट–बढ सकती है ।

8:— उक्त आवेदन आवेदन पत्र पंजीकृत डाक व्दारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 05.11.2012 है । उक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नही किया जायेगा ।

9:— आवेदन पत्र के साथ अपना पता लिखा लिफाफा प्रेषित किया जाना आवश्यक है (लिफाफे पर अनिवार्य रूप से रू0 40.00 रूपये मात्र का डाक टिकट लगा हो) ।

(बी0एस0कैडा)
मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून ।